क्षेत्रीय कार्यालय, उपनिदेशक (निर्माण)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
किसान मण्डी भवन, कानपुर रोड़, झांसी

पत्रांक:नि0झां0/(निविदा प्रका0पत्रा0)/2011– 226 दिनांक 10, मई, 2011

अल्पकालिक निविदा सूचना

निम्न कार्यो हेतु दिनांक 08.06.2011 को मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से 3.00 बजे अपरान्ह तक सील बन्द निविदायें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमन्त्रित की जाती है जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा दिनांक 07.06.2011 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, झांसी एवं स्टेट बैंक शाखा, मण्डी समिति, झांसी से प्राप्त की जा सकती है। (1) नवीन मण्डी स्थल, मऊरानीपुर में फल सब्जी मण्डी में 10नग दुकानों, 01नग कैन्टीन, आन्तरिक मार्ग, आन्तरिक नालियॉं, कासिंग एवं ड्रेन का निर्माण कार्य लागत रू0 81.20 लाख (2) नवीन मण्डी स्थल, मऊरानीपुर में 02नग वाटर स्टैण्ड पोस्ट का निर्माण एवं पूर्व निर्मित 08 नग वाटर स्टैण्ड पोस्ट की मरम्मत , गल्ला मण्डी में 03नग 'ब' श्रेणी दुकानों का निर्माण एवं आवासीय भवनों की मरम्मत का कार्य लागत रू0 20.13 लाख। कमांक 2 पर अंकित निविदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित। कमांक 1 पर अंकित निविदा का मूल्य रू0 1500/– एवं कमांक 2 पर अंकित निविदा का मूल्य रू0 1000/–, धरोहर धनराशि कार्य की लागत का 10% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को 2% जमानत धनराशि टेण्डर के समय तथा 8% धनराशि चालू देयक से कटौती की जायेगी। कमांक 1 पर अंकित कार्य समाप्ति की अवधि छः माह, कमांक 2 पर अंकित कार्य समाप्ति की अवधि चार माह। कमाक 1 पर अंकित कार्य के लिये "अ" श्रेणी, कमांक 2 पर अंकित कार्य के लिये "द" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु मण्डी परिषद में पंजीकरण अनिवार्य होगा। निविदा प्रकिया में मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो के केवल वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे, जिन्हें मण्डी परिषद में पंजीकरण कराते समय फोटोग्राफ सहित पावर आफ अटार्नी मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई हो। शासनादेश सं0 4435/छः पु0–14–06–50(7)/2006 दिनांक 02.11.2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (PWD T-4) एवं हैसियत प्रमाण–पत्र (PWD T-5) मूलरूप में संलग्न करना होगा। उन्ही ठेकेदार/फर्म को निविदा प्रपत्र निर्गत की जायेगी जो श्रम विभाग में पंजीकृत होगें।

नोटः– अन्य शर्ते व विवरण निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में तथा मण्डी परिषद की वेवसाइट http://www.upmandiparishad.in में देखी या पढ़ी जा सकती है।

नियम व शर्ते :–

1. उपरोक्त समस्त कार्यो को समय के अन्तर्गत पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
2. वाणिज्य कर कार्यालय के निर्देशानुसार निविदा शुल्क पर 13.50 प्रतिशत वाणिज्य कर अतिरिक्त देय होगा।
3. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा 25/– अतिरिक्त व्यय करने पर भेजा जा सकता है लेकिन डाक द्वारा निविदा समय से प्राप्त न होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।
4. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के साथ–साथ सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, झांसी एवं स्टेट बैंक, शाखा मण्डी समिति, झांसी के कार्यालय से किसी भी समय कार्यालय कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है।
5. ठेकेदार निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
7. धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा कय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, झांसी के नाम बन्धक होनी चाहिए।
8. पूर्व से अवमुक्त एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/सेविंग सर्टीफिकेट धरोहर धनराशि हेतु मान्य नहीं होगा।

कमशः 2 पर

9. कार्यो की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
10. जनरल सिक्योरिटी के विरूद्ध निविदा मान्य नहीं होगी।
11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
12. निविदा के साथ 100/— रूपये का स्टैम्प पेपर एवं उस पर 1/— का रेवेन्यु स्टैम्प संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. वाणिज्य कर/आयकर कार्यालय के अध्यादेश के अनुसार वाणिज्य कर/आयकर की कटौती ठेकेदारों के देयकों से की जायेगी।
14. समस्त कार्यो की निविदायें प्रतिशत के रूप में मांगी गयी है। अलग–अलग आईटमों पर दरें देने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. अनुबन्ध करते समय निर्धारित प्रकिया के अनुसार निर्धारित धनराशि के स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी के रूप में देने होगें।
16. निविदा देने हेतु वही फर्म/ठेकेदार पात्र होगें जिन्होने मण्डी परिषद में नये नियम के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण कराया हो।
17. टेण्डर में किसी प्रकार के नेगोशियेशन नहीं किए जायेगे। टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त दरें ही अन्तिम होगी और उन्हीं के आधार पर निर्णय लिए जायेंगे।
18. किसी भी ठेकेदार की निविदा की दर में दशमलव के पूर्व शून्य न होने अर्थात 0 से 1 प्रतिशत के मध्य दशमलब न होने पर एवं शब्दों में भरी न होने पर निविदा को अबैध मानते हुए उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. निविदा प्रपत्र खरीदने हेतु निर्धारित प्रारूप स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. निविदा प्रपत्र में ठेकेदार/फर्म के श्रम विभाग में पंजीकरण होने की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, झांसी

पृष्ठांकनःनि0झां0/(निविदा प्रका0पत्रा0)/2011– 226 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता/अपर मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ।
2. सिस्टम मैनेजर, मण्डी परिषद मुख्यालय, लखनऊ को मण्डी परिषद की बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ।
3. सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)/संभागीय लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, झांसी।
4. जिलाधिकारी, झाँसी।
5. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उ0प्र0।
6. समस्त झांसी मण्डल के अन्तर्गत मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म "अ" एवं 'द' श्रेणी।
7. सहायक अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक, मण्डी परिषद, झांसी।
8. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मऊरानीपुर।
9. प्रबन्धक स्टेट बैंक, शाखा मण्डी समिति, झांसी।
10. सूचना पट में चस्पा करने हेतु।

19/5/11

उप निदेशक (निर्माण)
मण्डी परिषद, झांसी